

Mail to AM concerned  
CM & HO & upload on  
Website  
13/5/14

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-62/2014/231

दिनांक : 13/5/14

-: आदेश :-

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर के पत्र क्रमांक F.7(10)/SIHFW/PDC/Part-VI/14-15/797 दिनांक 30.04.14 प्राप्त दिनांक 05.05.14 के क्रम में (Professional Development Course-10<sup>th</sup> Batch at SIHFW) द्वारा दिनांक 14.05.14 से 22.07.14 तक (70 दिवस) के कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थापन स्थान
1.	डा० मो. अफजल	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र रैन (नागौर)
2.	डा० राजेश कुमार शर्मा	चि०अ०	महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाडा
3.	डा० सुनील कुमार विद्यार्थी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र सिलवाडा (हनुमानगढ)
4.	डा० राजेश कुमार मीणा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र तलवास (बून्दी)
5.	डा० दीपक शिवरान	चि०अ०	बी.डी.के चिकित्सालय झुन्झुनू
6.	डा० श्रवण कुमार सौकरिया	चि०अ०	बी.डी.के चिकित्सालय झुन्झुनू
7.	डा० महावीर प्रसाद	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र कांकरवा (चित्तौडगढ)
8.	डा० किशन लाल महावर	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र काराना (अलवर)
9.	डा० विद्या प्रकाश मीणा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र श्रीमहावीरजी (करौली)
10.	डा० नटवर सिंह भाटी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र पारलू (बाडमेर)
11.	डा० संजय शर्मा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र आगोलाई (जोधपुर)
12.	डा० निरर्जन सिंह	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र आडवा (पाली)
13.	डा० सज्जन सिंह यादव	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र लोयल (झुन्झुनू)
14.	डा० चन्दर कुमार मूलचन्दानी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बरसलपुर (बीकानेर)
15.	डा० शैतान कुमार	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र भारजा (सिरोही)
16.	डा० किरण सौलंकी	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र सबीना खेडा (उदयपुर)
17.	डा० मन्जू मीणा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र मौजमाबाद (जयपुर-II)
18.	डा० राम अवतार कसोटिया	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र रजवाडी (जयपुर-II)
19.	डा० राजकुमार खोलिया	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र खुवारिया (राजसमन्द)
20.	डा० कमर सिंह मीणा	चि०अ०	प्रा.स्वा.केन्द्र बांकोडा (झुंजरपुर)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 14.05.14 को प्रातः 09:30 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक प.6(6) ट्रेनिंग(पीएल-2)/आर.एच. एस.डी.पी./07/4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थियों को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगें जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो साथ ही प्रशिक्षण में

क.प.उ.

//2//

जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करावें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट : यात्रा भत्ता टैक्सी/स्वयं की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- राजपत्रित/सामान्य/प-62/2014/231

दिनांक : 13/5/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम. मुख्यालय जयपुर।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक F.7(10)/SIHFW/PDC/Part-VI/14-15/797 दिनांक 30.04.14 प्राप्त दिनांक 05.05.14 के क्रम में लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावें, ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 14.05.14 को प्रातः 09:30 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, (SIHFW) झालाना इन्स्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यमुक्त करें।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।